

न्यायालय-अपर जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा।

स्वत्व अपील सं-18/10.

अभिलेख निबन्धान सं-728/14.

आदेश

02.03.15

अपीलकर्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पिछले कई तिथियों से कोई पैरवी नहीं कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की रुचि इस वाद में नहीं है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखगृह में जमा करें।

लेखापित

अपर जिला न्यायाधीश, अष्टम्,
सारण, छपरा।